संख्या–588 (1) / 14–2–2017–800(64) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0,लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 26 **अप्रैल 2017**

विषयः– बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदरी जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1949 / 11–सी / एफपी / यूपी / थर्मल / 14236 / 2015, दिनांक 21–3–2017 एवं पत्र संख्या–2142 / 11–सी, दिनांक 19 अप्रैल 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जो भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पाइप लाईन से प्रभावित वनभूमि के संबंध में पाइप लाइन हेतु वैकल्पिक भूमि / गैर वन भूमि उपलब्ध न होने अथवा न्यूनतम वनभूमि प्रभावित होने की दृष्टि से पाईप लाईन संरेखण के तीन विकल्प प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र से यह प्रतीत हो रहा है कि वनभूमि के न्यूनतम प्रभावित होने की दृष्टि से उपलब्ध संरेखण पर विचार नहीं किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावक द्वारा वनभूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बंध में प्रस्तुत विकल्पों पर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर से परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय कि प्रस्तुत विकल्पों में न्यूनतम वनभूमि प्रभावित होने का विकल्प सम्मिलित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

BSingh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।